

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं जातिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

68/2025 प्रा.पत्र/2025

09.07.2025

तारीख निर्णय

14.08.2025

डॉ० मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज०।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री विनोद कुमार टांक पुत्र श्री रामस्वरूप टांक एफ.बी.ओ. मैसर्स संगम एन्टरप्राइजेज बस स्टेण्ड परिसर देवली जिला टोंक राज०। निवासी ई-20 पटेल नगर देवली जिला टोंक राज०। पिनकोड-304804 मोबाईल नं० 9414276910

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011
उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री विनोद कुमार टांक स्वयं उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 14/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.05.2025 को समय 06:01 पी.एम. पर मैसर्स संगम एन्टरप्राइजगज बस स्टेण्ड परिसर देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री विनोद कुमार टांक पुत्र श्री रामस्वरूप टांक अपने प्रतिष्ठान मैसर्स संगम एन्टरप्राइजगज बस स्टेण्ड परिसर देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री विनोद कुमार टांक पुत्र श्री रामस्वरूप टांक को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार टांक पुत्र श्री रामस्वरूप टांक ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र ऑन-लाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री विनोद कुमार टांक की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में मॅंगो ड्रिंक, कोल्ड ड्रिक्स अलग-अलग ब्राण्ड व फ्रूट व आईसकीम के साथ-साथ पेय पदार्थों के साथ मॅंगो ड्रिंक डेमी ब्रॉण्ड (Ready To Serve Beverage) (Demi's Brand) दुकान में 200 एम. एल के 42 पैकेट मॅंगो ड्रिंक डेमी ब्रॉण्ड (Ready To Serve Beverage) (Demi's Brand) पेपर कार्टन में आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री विनोद कुमार टांक पुत्र श्री रामस्वरूप टांक को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्वय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री विनोद कुमार टांक पुत्र श्री रामस्वरूप टांक व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर कर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता



14/8/25
जातिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

को यह बताकर कि दुकान में 200 एम.एल.की 42 बोतल मैंगो ड्रिंक डेमी ब्रॉण्ड (Ready To Serve Beverage) (Demi's Brand) 20 बोतल नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मैंगो ड्रिंक डेमी ब्रॉण्ड (Ready To Serve Beverage) (Demi's Brand) 200 मिली के पाँच-पाँच बोतल मूल पैक का एक भाग बनाकर अलग-अलग नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चयार लेबल तैयार कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4401 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4401 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता विनोद कुमार टांक पुत्र श्री रामस्वरूप टांक ने मैंगो ड्रिंक डेमी ब्रॉण्ड (Ready To Serve Beverage) (Demi's Brand) का किसी अन्य फर्म से कय करने का वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टांक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/750 दिनांक 03.06.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2125/एक्ट/2025/2324 दिनांक 21.05.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया मैंगो ड्रिंक डेमी ब्रॉण्ड (Ready To Serve Beverage) (Demi's Brand) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(B)(ii) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री विनोद कुमार टांक स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी



Adl
प्रतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट
टांक

मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **आईसक्रीम मैंगो ड्रिंक डेमी ब्रॉण्ड (Ready To Serve Beverage) (Demi's Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मैंगो ड्रिंक डेमी ब्रॉण्ड (Ready To Serve Beverage) (Demi's Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन सािकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक